

राजस्थान सरकार
वन विभाग

प क्रमांक 3(15)वन/2023

जयपुर, दिनांक :- 05.10.2023

अधिसूचना

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 53) की धारा 38ब द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय वन्यजीव मण्डल के अनुमोदन के उपरान्त इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ3(34)वन/2007 जयपुर दिनांक 06.07.2012, समय-समय पर यथा संशोधित, जिसका प्रकाशन राजपत्र विशेषांक के भाग 4(ग) दिनांक 09.07.2012 में हुआ है, जिसके द्वारा रणथंभौर व्याघ्र आरक्षित का मध्यवर्ती क्षेत्र (Buffer Area) घोषित किया गया था, में एतद्वारा निम्न संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

(i) अनुसूची-I के नीचे विद्यमान निम्न अभिव्यक्ति,-

"जिला सवाई माधोपुर
राजस्व क्षेत्र

क्र.सं.	तहसील	ग्राम पंचायत	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (हैक्टर)
1.	खंडार	डूंगरी	गढी, कालाखोहरा(तालरा)	148.00
2.	खंडार	डूंगरी	भावपुर	407.00
3.	खंडार	डूंगरी	खिदरपुर जादौन	787.63
4.	खंडार	नायपुर	सांवटा	931.00
योग				2273.63

को अभिव्यक्ति,

"जिला सवाई माधोपुर
राजस्व क्षेत्र

क्र.सं.	तहसील	ग्राम पंचायत	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (हैक्टर)
1.	खंडार	डूंगरी	गढी, कालाखोहरा(तालरा)	148.00
2.	खंडार	डूंगरी	भावपुर	407.00
3.	खंडार	डूंगरी	खिदरपुर जादौन	787.63
4.	खंडार	नायपुर	सांवटा	931.00
5.	खण्डार	छाण	गण्डायता	193.9044
6.	खण्डार	अल्लापुर	बाढपुर	313.3153
7.	खण्डार	अल्लापुर	बेरना	270.6876
8.	खण्डार	दौलतपुरा	क्यारदा खुर्द	178.3506
योग				3229.8879

से प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ii) अनुसूची-I के नीचे विद्यमान अभिव्यक्ति,

“जिला बूंदी
वन क्षेत्र

क्र.सं.	वनखण्ड का नाम	वन मंडल	वन का प्रकार	क्षेत्रफल (हेक्टर)
1	2	3	4	5
1	बलवन	उप वन संरक्षक कोर बाघ परियोजना एवं मण्डल वन अधिकारी बूंदी	आरक्षित वन	967.83
2	पोलघटा	उप वन संरक्षक कोर बाघ परियोजना	संरक्षित वन	435.00
3	तलवास	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	आरक्षित वन	4277.48
4	मोहनपुरा	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	आरक्षित वन	1777.58
5	अरियाली बूढी करवर	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	संरक्षित वन	1559.92
6	गढवाला	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	आरक्षित वन	949.41
7	माताजीवाला	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	आरक्षित वन	440.06
8	सालमदरा - ए	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	संरक्षित वन	98.70
9	सालमदरा - बी	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	संरक्षित वन	139.19
10	सालमदरा - सी	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	संरक्षित वन	256.55
11	सालमदरा - डी	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	संरक्षित वन	177.72
12	गेंडोली	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	संरक्षित वन	1732.14
13	कांकरा	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	संरक्षित वन	1372.83
14	लाखेरी	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	संरक्षित वन	2435.18
15	फौलाई	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	संरक्षित वन	2438.89
16	डोबरली	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	संरक्षित वन	85.95
17	बांकलिया महादेव	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	संरक्षित वन	438.00
18	रामनगर	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	संरक्षित वन	38.02
योग				19620.45

को अभिव्यक्ति,

“जिला बूंदी
वन क्षेत्र

क्र. सं.	वनखण्ड का नाम	वन मंडल	वन का प्रकार	क्षेत्रफल (हैक्टर)
1	2	3	4	
1.	बलवन	उप वन संरक्षक कोर बाघ परियोजना एवं मण्डल वन अधिकारी बूंदी	आरक्षित वन	967.83
2.	पोलघटा	उप वन संरक्षक कोर बाघ परियोजना	संरक्षित वन	435.00
3.	तलवास	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	आरक्षित वन	4277.48
4.	मोहनपुरा	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	आरक्षित वन	1777.58
5.	अरियाली बूढ़ी करवर	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	संरक्षित वन	1559.92
6.	गढवाला	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	आरक्षित वन	949.41
7.	माताजीवाला	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	आरक्षित वन	440.06
8.	सालमदरा – ए	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	संरक्षित वन	98.70
9.	सालमदरा – बी	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	संरक्षित वन	139.19
10.	सालमदरा – सी	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	संरक्षित वन	256.55
11.	सालमदरा – डी	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	संरक्षित वन	177.72
12.	गेंडोली	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	संरक्षित वन	1548.96
13.	कांकरा	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	संरक्षित वन	1149.96
14.	लाखेरी	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	संरक्षित वन	2404.88
15.	फौलाई	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	संरक्षित वन	2438.89
16.	डोबरली	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	संरक्षित वन	85.95
17.	बांकलिया महादेव	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	संरक्षित वन	438.00
18.	रामनगर	मण्डल वन अधिकारी बूंदी	संरक्षित वन	38.02
योग				19184.10

से प्रतिस्थापित किया जावेगा;

(iii) अनुसूची-I के नीचे विद्यमान अभिव्यक्ति,

“मध्यवर्ती क्षेत्र (Buffer Area) का विवरण

वन क्षेत्र में मध्यवर्ती क्षेत्र

27519.02 हैक्टर

राजस्व क्षेत्र में मध्यवर्ती क्षेत्र

2273.63 हैक्टर

कुल योग :

29792.65 हैक्टर

को अभिव्यक्ति,

“जिला सवाईमाधोपुर व कोटा
अभ्यारण्य राजस्व क्षेत्र

राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य का जिला सवाई माधोपुर में स्थित पालीघाट रेन्ज का क्षेत्र	जिला सवाई माधोपुर के राजस्व ग्राम कर्मापुर से कुरेडी ग्राम तक का अभयारण्य का राजस्व क्षेत्र (कुल 12800 हैक्टेयर में से 1426 हैक्टेयर सेवती चम्बल वनखण्ड के अतिच्छादी भाग को हटाते हुए जो पूर्व से ही रणथम्भौर व्याघ्र आरक्षिति के बफर क्षेत्र व उपरलिखित वन क्षेत्र की सारणी में सम्मिलित हैं)	11374.00 हैक्टेयर
--	--	-------------------

नोट: राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य का करौली, सवाई माधोपुर सीमा में गुसाई घाट तक का क्षेत्र जो रणथम्भौर व्याघ्र आरक्षिति के क्रिटिकल टाइगर हैबीटैट क्षेत्र (Critical Tiger Habitat) में सम्मिलित नहीं हैं, वह भाग मध्यवर्ती क्षेत्र (Buffer) में सम्मिलित होगा।

मध्यवर्ती क्षेत्र (Buffer Area) का विवरण

वन क्षेत्र में मध्यवर्ती क्षेत्र
राजस्व क्षेत्र में मध्यवर्ती क्षेत्र

27082.67 हैक्टर

14603.8879 हैक्टर

41686.5579 हैक्टर

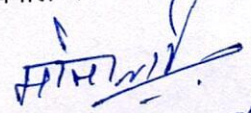
कुल योग :

से प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(iv) अनुसूची II के नीचे विद्यमान खण्ड-12 को निम्न से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

“खण्ड-12 कण्डूली नदी के निम्न सारणी में सम्मिलित खसरों की बाहरी पश्चिमी सीमा से राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य की सीमा तक; व इससे पश्चिम में राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य की सीमा के साथ-साथ रामगढ विषधारी व्याघ्र आरक्षिति की सीमा तक; व उससे कोटा जिले में राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य के उस क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए जो रामगढ विषधारी व्याघ्र आरक्षिति में सम्मिलित नहीं हैं; व इससे राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य की मध्य प्रदेश से लगने वाली सीमा के साथ-साथ करौली जिले में गुसाई घाट तक; व उससे वापस राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य की सीमा के साथ-साथ सेवती चम्बल वनखण्ड तक (रणथम्भौर व्याघ्र आरक्षिति के क्रिटिकल टाइगर हैबीटैट क्षेत्र को छोड़ते हुए); व उससे सेवती चम्बल वनखण्ड को सम्मिलित करते हुए राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य की सीमा के साथ-साथ कण्डूली नदी के सम्मिलित खसरों तक; तथा कण्डूली नदी के सम्मिलित खसरों की बाहरी पूर्वी सीमा तक।”

राज्यपाल की आज्ञा से,


(मोनाली सेन) 5/10/23
विशेषाधिकारी, वन

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव।
6. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर।
8. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को REAMS के माध्यम से E- Gazette में प्रकाशित करवाने का श्रम करावे।

9. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान, जयपुर।
10. संभागीय आयुक्त.....
11. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव
12. जिला कलक्टर,
13. उप वन संरक्षक,
14. संसदीय कार्य विभाग।
15. रक्षित पत्रावली।

//
विशेषाधिकारी, वन

प्रतिलिपि पुनः प्रेषित हैं :-

1. सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन्य जीव सुरक्षा विभाग, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड़ी, नई दिल्ली।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. रजिस्ट्रार राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।

//
विशेषाधिकारी, वन